[illegible] 9/10/19

उपखण्ड अधिकारी लोड

[illegible] पेश हुई। वादी व प्रतिवादी
व स्वयं वादीगण को प्रकरण में सुनवाई
हेतु आवाज लगवाई गई किन्तु वादीगण
वादीगण व उनके अधिवक्ता प्रकरण
में उपस्थित नहीं होने से वादीगण को
वाद पत्र अदम हाजरी पैरवी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसलशुमार होकर बैंच नंबर से
कम हो।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

[illegible] द्वारा
[illegible] किपटिम
[illegible] अधिवक्ता।
[illegible]
को पेश हो

[illegible] अधिकारी पदेन
[illegible] कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.02.19 14:09:11 IST
Reason: SelfAttested